प्रेस विज्ञप्ति

12.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने मोहम्मद सुहैल और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 20.11.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तरी गोवा, पणजी ने 02.01.2026 को पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया है।

ईडी ने गोवा पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा दायर चार्जशीट संख्या 01/2024 दिनांक 09.01.2024 (गोवा के क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन द्वारा दिनांक 23.07.2022 को दर्ज एफआईआर संख्या 64/2022 के आधार पर) के तहत पीएमएलए के अंतर्गत जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि मोहम्मद सुहैल, भूमि हड़पने के मामलों में संलिप्त एक आदतन अपराधी, ने शिकायतकर्ता के माता-पिता से संबंधित गोवा के बारदेज़ जिले के अंजुना में स्थित भूमि का स्वामित्व धोखाधड़ी से हस्तांतरित करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी। इस प्रक्रिया में जाली जन्म प्रमाण पत्र तैयार करके 'मालविन जी. लोबो' नाम का एक काल्पनिक व्यक्ति बनाया गया और साथ ही असली मालिकों के जाली मृत्यु प्रमाण पत्र भी तैयार किए गए। इन जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक फर्जी उत्तराधिकार विलेख तैयार किया गया और बाद में मोहम्मद सुहैल के एक सहयोगी के पक्ष में धोखाधड़ी से एक पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की गई। इसके बाद 29.09.2010 की बिक्री विलेख के माध्यम से संपत्ति मोहम्मद सुहैल की पत्नी को हस्तांतरित कर दी गई और बाद में 15.04.2011 को शेख सलीम को बेच दी गई। जांच में यह पाया गया कि अपराध से प्राप्त धन को वैध दिखाने के लिए संपत्ति का मूल्य काफी कम आंका गया था और पंजीकृत मूल्य से अधिक नकद लेनदेन का उपयोग आरोपियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था। मोहम्मद सुहैल को ईडी ने 22.09.2025 को गिरफ्तार किया था। ईडी की 14 दिन की हिरासत पूरी होने के बाद, आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। इसी बीच, ईडी ने मोहम्मद सुहैल और श्रीमती अंजुम शेख के खिलाफ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, पीएमएलए के तहत विशेष न्यायालय, मर्सिस, गोवा में अभियोजन शिकायत दर्ज कराई है।

2 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई के दौरान, माननीय न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया। आरोपी नंबर 1, मोहम्मद सुहैल को कोलवाले स्थित केंद्रीय कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। आरोपी नंबर 2 का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता (लीगल काउंसिल) ने किया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।